भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3898
दिनांक 14 अगस्त, 2014 को उत्तर देने के लिए

जारी किए गए आधार कार्डों की संख्या

3898. श्री परवेज़ हाशमी:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सहित देश भर में आज तक कितने लोगों को आधार कार्ड दिए गए हैं;
(ख) क्या उन एजेंसियों के अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं जिन्होंने अनेक स्थानों पर आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करने के बाद इन्हें जारी नहीं किया और ऐसी परिस्थितियों में यह आशंका है कि वे अपने पास उपलब्ध आंकड़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं; और
(ग) उपरोक्त परिस्थिति में जिनका आधार कार्ड हेतु पंजीकरण हो चुका है, उनको क्या करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करने का कार्य अभी अधर में लटका पड़ा है, और सरकार द्वारा इसे सभी सरकारी विभागों में अनिवार्य किया जा रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - योजना मंत्रालय,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
तथा रक्षा राज्य मंत्री
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) दिनांक 09.08.2014 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली से संबंधित 1,71,38,742 आधार सहित, कुल 65,58,54,475 आधार सृजित किए गए हैं।
(ख) यूआईडीएआई नामांकन एजेंसियों के साथ संविदाएं निष्पादित नहीं करता है अपितु निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन, स्वयं को ऐसी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने तक ही सीमित रखता है। यूआईडीएआई ने, आधार नामांकन और नामांकन आईडी जारी करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं भी निर्धारित की हैं। जनांकिकीय और बायोमीट्रिक ब्यौरे की अनुप्राप्ति के बाद, निवासी का डेटा नामांकन के समय ही कूटबद्ध (इंक्रिप्टिड) हो जाता है। कूटबद्ध पैकेट का कूटानुवाद (डिक्रिप्ट), इसे आधार का सृजन करने हेतु प्रोसेसिंग के लिए अपलोड करने के बाद, केवल यूआईडीएआई

की सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में ही किया जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि आधार का सृजन केवल यूआईडीएआई द्वारा ही किया जा सकता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। उपर्युक्त के मद्देनजर, किसी भी नामांकन एजेंसी के लिए डेटा का कूटानुवाद (डिक्रिप्ट) करना अथवा उसका दुरुपयोग करना संभव नहीं है।

(ग) जिन निवासियों को आधार के लिए नामांकन करवाने के बाद भी आधार नहीं मिला है, वे नामांकन आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन या यूआईडीएआई की टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से अपने आधार के सृजन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि संगत नामांकन पैकेट को गुणवत्ता संबंधी कारणों की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया है तो निवासी को किसी भी नामांकन केन्द्र में पुन: नामांकन करवाना होगा। आधार का सृजन हो जाने के बाद, निवासी यूआईडीएआई की वेबसाइट से अपने आधार की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (जिसे ई-आधार कहा जाता है) डाउनलोड कर सकते हैं। आधार के लिए नामांकन करवाना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए आधार का उपयोग करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जा सकता है।

*****